न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय मुख्तसर [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-03-2022	राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ [illegible] ____ [illegible] ____ [illegible] नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30-03-2022 को प्रस्तुत हो। [illegible] लोक अदालत बैंच [illegible] [illegible]	
30-3-22	[illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 11-4-22 [illegible] हो।	
11.04.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे वकुलाय उभय पक्षकारान् ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 28.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
28.04.2022	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.05.06 10:19:29 IST Reason: SelfAttested 28/4/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
45 / 2020	2020 / 086	13.07.2020	28.04.2022

उनवान प्रकरण

1. सेडूराम पुत्र स्व0 कालूराम उम्र– 63 साल
2. सीताराम पुत्र स्व0 कालूराम उम्र– 59 साल
3. महेश कुमार पुत्र स्व0 कालूराम उम्र–42 साल

समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी पिरोथा वाली तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र स्व0 कालूराम उम्र– 65 साल

   जाति माली निवासीगण ग्राम ढ़ाणी पिरोथावाली तन् ग्राम हासंपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रामजीलाल सैनी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री दीपेन्द्र भारद्वाज, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 2

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी [illegible] अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 336 कुल रकबा 7.6000 हैक्टर भूमि के हिस्सा 9/40 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से होकर सगे भाई है। जो सजरा खानदान में अंकित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 9/40 की भूमि पक्षकारान् की संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से शामलाती में संयुक्त हिन्दू परिवार में खरीद की गई पैत्रृक सम्पदा भूमि है। उक्त भूमि अर्सा करीब 40 साल पूर्व शामलाती परिवार में शामलाती कमाई से पिता स्व0 कालूराम के जीवन काल में खरीद की गई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 सबसे बड़ा भाई था एंव भाईयों में आपसी सद्‌भावना एंव प्रेमभाव चला आ रहा था। इसलिए उक्त भूमि की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा दी गई थी। जबकि उक्त भूमि पैत्रिक है एंव उक्त भूमि हिस्सा 9/40 पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 चारों भाई बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण अपनी हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी को उक्तानुसार भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 08.07.2020 को नट ही गया तथा वादीगण की भूमि में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए वाद प्रश्न कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री दीपेन्द्र भारद्वाज एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 2 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी सेडूराम, सीताराम, महेश कुमार के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली संलग्न किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव साक्ष्य वादीगण में वादीगण के शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 9/40 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार से होकर आपस में सगे भाई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पक्षकारान् के पिता कालूराम के जीवनकाल में ही परिवार की संयुक्त आय से क्रय की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के सबसे बड़ा भाई होने की वजह से रजिस्ट्री करवा दिये जाने से उक्त भूमि पक्षकारान् की पैतृक भूमि होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा तस्दीक कराया है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों व सजरा खानदान से पक्षकारान् के आपस में सगे भाई होना प्रमाणित होता है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने मध्य हुए राजीनामा दिनांक [illegible]2.03.2022 के अनुसार अपने अपने हक हिस्से में आई भूमियों की खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 7.6000 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 1 को एंव हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 2 को एंव हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर शेष हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जाने एंव सह खातेदारान् की खातेदारी बदस्तूर रखी जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 7.6000 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 1 को एंव हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 2 को एंव हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 का वादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाता है तथा शेष हिस्सा 9/40 में से 1/4 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में हिस्सा 9/160 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बदस्तूर रखी जाने एंव सह खातेदारान् की खातेदारी बदस्तूर रखी जाने की घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

28/4/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/04/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गयझं

28/04/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested